उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-13 /2018/672/30-3-18-05बी/2015

लखनऊ, दिनॉक 27 फरवरी, 2018

संशोधन/शुद्धि-पत्र

सहायक संभागीय परिवहन कार्यलय लखीमपुर के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत मानक मद से रू0 304.24 लाख की वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-10/2018/272/30-3-18-5बी/2015 दिनांक 22.02.2018 के प्रस्तर-2 की तीसरी पंक्ति में त्रुटिवश अंकित 14-संभागीय परिवहन कार्यालय लखनऊ में सारथी हाल का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के स्थान पर 10-सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय लखीमपुर में सारथी हाल सहित भवन निर्माण-24 वृहद निर्माण कार्य पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 22.02.2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

विनोद कुमार
उप सचिव।

संख्या-13/2018/672(1)/30-3-2018, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी लखनऊ।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।